झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

चतुर्थ-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 17.12.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री अरूप चटर्जी स0वि0स0	धनबाद जिलान्तर्गत "मल्टी मिलेज वाटर सप्लाई स्कीम" निरसा गोविंदपुर राज्य सरकार का एक अति महत्वकांक्षी योजना है, इसके तहत दक्षिणी क्षेत्र के 135 राजस्व गाँवों तथा उत्तरी क्षेत्र के 301 राजस्व गाँवों में पाईप लाईन द्वारा पेयजलापूर्ती हेतु क्रमशः 223.29 करोड़ एवं 355 करोड़ रूपया का प्राक्कलन बनाया गया था। इस योजना का तकनिकी स्वीकृति तो हो चुका है, परन्तु आज दिनांक- 15.12.2015 तक भी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिल पाया है फलस्वरूप इस योजना का कार्य लम्बित है। अतः मैं अविलम्ब उक्त महत्वकांक्षी योजना का क्रियान्वयन हेतु समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	पेयजल एवं स्वच्छता
02-	श्रीमती बिमला प्रधान स0वि0स0	झारखण्ड प्रदेश के सिमडेगा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा एवं खूँटी जिला में O.B.C. वर्ग की आबादी लगभग 20 प्रतिशत है परन्तु जिला नियोजन के रोस्टर में इस वर्ग का आरक्षण शून्य है। इस कारण O.B.C. वर्ग के शिक्षित युवक युवतियों को जिला स्तर पर नियुक्ति में अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अतः O.B.C. वर्ग को इन जिलों के रोस्टर में सुधार करते हुए इन्हें शामिल किया जाए जिससे कि इस वर्ग को आरक्षण लाभ मिल सके मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
03-	श्री राज सिन्हा स0वि0स0	राज्य के 52 नई स्वीकृत बाल विकास परियोजना में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों की सेवा 10 वर्षो की पूरी हो गई, है। राज्य के 9 जिलों यथा हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, देवघर, गोड्डा एवं पलामू में वर्ष 2005 में महिला पर्यवेक्षिका, सांख्यिकी सहायक, लिपिक एवं आदेशपाल की नियुक्ति संविदा के आधार पर वर्ष 2005 में की गई थी। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति विगत् 10 वर्षो से लगातार सेवारत हैं। विदित हो कि राज्य में संविदा के आधार पर10 वर्षो से कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित की गई है किन्तु इस क्रम में इनलोगों की सेवा नियमितीकरण पर कोई विचार नहीं किया गया है। अतः राज्य के 52 नई स्वीकृत बाल विकास परियोजना में नियुक्त संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	महिला एवं बाल विकास
04-	सर्वश्री राजकुमार यादव, योगेन्द्र प्रसाद एवं डॉ0 इरफान अंसारी स0वि0स0	राज्य के जेलों में बंद आजीवन सजा पूरी कर चुके कैदियों को जेल से मुक्ति के लिए राज्य सरकार पुर्णरीक्षण बोर्ड की बैठक कर आजीवन सजा पूरी कर चुके कैदियों को जेल से रिहा 26.06.2014 तक करते आ रही थी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के W.P.C.(C.F.L.) N0 48/2014 Union of India V/S Sriharan @ Murugan and Others का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने रोक लगा रखी थी लेकिन दिनांक-23.07.2015 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश को संसोधित करते हुए आजीवन सजा पुरी कर चुके कैदियों की रिहाई पर रोक हटाते हुए सभी राज्यों को राज्य सजा पुर्णरीक्षण की बैठक कर आजीवन सजा पुरी कर चुके कैदियों को जेल से रिहा का आदेश पारित किया उस आदेश के बाद छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश तथा कर्नाटक की सरकारों ने आजीवन कारावासित कैदियों को रिहा कर चुके है लेकिन झारखण्ड सरकार की ओर से इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। अतः आजीवन सजा पुरी कर चुक जेलों में बंद कैदियों को रिहाई के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	गृह

01.	02.	03.	04.
05-	श्री नारायण दास स0वि0स0	झारखण्ड राज्य गठन के वर्षो बाद भी राज्य में कार्यरत ग्राम प्रधान को मात्र रू0 1,000/- मानदेय के रूप में दिया जाता है। साथ ही मूल रैयत जो ग्रामीण क्षेत्र की भूमि सुधार एवं राजस्व से संबंधित कार्यो की देख-रेख करते हैं तथा कार्य संचालन अनुमण्डल पदाधिकारी के सानिध्य में करते है, वैसे मूल रैयतों के भी सम्मानजनक मानदेय पर रोक लगा दी गयी। अतः राज्य में कार्यरत ग्राम प्रधानों के साथ-साथ मूल रैयतों को सम्मानजनक मानदेय या राशि भुगतान की जाय। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	राजस्व एवं भूमि सुधार

राँची,
दिनांक- 17 दिसम्बर, 2015 ई0।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-81/2015-305/वि0 स0, राँची, दिनांक- 16.12.15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाष विभाग/ महिला एवं बाल विकास विभाग/ गृह विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
16/12/15
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-81/2015-305/वि0 स0, राँची, दिनांक- 16.12.15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
16/12/15
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

16/12/15